संख्या 13023/17/87-स्था0(छुट्टी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त, 1990

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पी0एच0डी0 की डिग्री प्राप्त करने के लिए अध्ययन के लिए अध्ययन अवकाश की वृद्धि बाबत मंजूरी के संबंध में।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972, के नियम 54 के उप-नियम(2) के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्य किस्म की छुट्टियों के साथ अध्ययन अवकाश की मंजूरी दी जा सकती है, परन्तु किसी भी स्थिति में असाधारण अवकाश को छोड़कर किसी अन्य अवकाश के साथ मिला कर इन छुट्टियों की मंजूरी सरकारी कर्मचारियों की स्थायी ड्यूटियों से 28 मास से अधिक की कुल अनुपस्थिति के लिए नहीं दी जाएगी। 28 मास की इस सीमा को बढ़ाने का प्रश्न विशेष रूप से इसलिए कि पी0एच0डी0की डिग्री प्राप्त करने के लिए अध्ययन में 3 वर्ष का समय लगता है। 2 वर्ष की वर्तमान सीमा के स्थान पर 3 वर्ष तक के अध्ययन अवकाश की मंजूरी की मांग के प्रसंग में विचाराधीन था। मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया गया तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि असाधारण छुट्टी को छोड़कर, छुट्टी वेतन सहित अन्य किस्म की छुट्टियों सहित अध्ययन अवकाश की सीमा को उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए जो पी0एच0डी0 की डिग्री प्राप्त करने के लिए अध्ययन कर रहे हैं 28 मास से बढ़ाकर 36 मास कर दिया जाए बशर्ते कि अध्ययन तथा विश्वविद्यालय / संस्थान नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो तथा अध्ययन अवकाश की मंजूरी संबंधी विभिन्न शर्तें भी पूरी होती हों।

2. यह आदेश 1 सितम्बर, 1990 से प्रभावी होगा।

3. उपर्युक्त संशोधन करने वाले नियमों के संगत प्रावधान का औपचारिक संशोधन पृथक रूप से जारी किया जा रहा है।

4. जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, इसे भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है।

(ई0 के0 श्रीधरन)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवामें,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग (सूची के अनुसार)